रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 703] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2003/श्रावण 14, 1925
No. 703] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2003/SRAVANA 14, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 894(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च,1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 228(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अंकलेश्वर औद्योगिक विकास सोसायटी, के-1/205, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल एस्टेट, पोस्ट बॉक्स सं0 24, अंकलेश्वर-393002 द्वारा अंकलेश्वर के आसपास 50 गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा और खेल सुविधाओं के विकास और विस्तार (विद्यालय भवन, उपस्करों की व्यवस्था, चलती-फिरती शैक्षणिक वैन सहित विद्यालयों में शिक्षा केन्द्र और कमरों, उपकरणों, चलते-फिरते चिकित्सा एकक और व्यवसाय जनित रोगों की रोकथाम और इलाज सहित अस्पताल भवन, ग्राउंड ट्रैक और सभा भवन/स्टेडियम के निर्माण के माध्यम से) के लिए कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में 19 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 218(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 216(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना

सं0 सां0 आ0 162(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दस वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे कीअवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है और समिति ने 600.00 लाख रु0 की अनुमोदित राशि में से 100.00 लाख रु0 कार्पस निधि के रूप में देने की भी अनुमति दी और अधिसूचना में उनका नाम अंकलेश्वर औद्योगिक विकास सोसायटी से बदलकर अंकलेश्वर औद्योगिक और ग्रामीण विकास सोसायटी रखने की अनुमति दी ।

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43, ^ धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) एतद्द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से शुरु करके आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए अंकलेश्वर औद्योगिक विकास सोसायटी, के-1/205, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल एस्टेट, पोस्ट बॉक्स सं0 24, अंकलेश्वर-393002 द्वारा अंकलेश्वर के आसपास 50 गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिणिक, चिकित्सा और खेल सुविधाओं के विकास और विस्तार (विद्यालय भवन, उपस्करों कीव्यवस्था चलती-फिरती शैक्षणिक वैन, सहित विद्यालयों में शिक्षा केन्द्र और कमरों, उपकरणों, चलते-फरते चिकित्सा एकक और व्यावसाय जनित रोगों की रोकथाम और इलाज सहित अस्पताल भवन, ग्राउंड ट्रैक और सभा भवन/स्टेडियम के निर्माण के माध्यम से) की स्कीम या परियोजना को एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 17 मार्च,1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 228(अ0) में आगे निम्नलिखित सशोधन किए जाते हैं, नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 5 के सामने कालम (2) में

(i) "अंकलेश्वर औद्योगिक विकास सोसायटी" शब्दों के लिए " अंकलेश्वर औद्योगिक और ग्रामीण विकास सोसायटी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) कालम (3) में "600 लाख रु0" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के बाद,"एसी परियोजना लागत में से 100.00 लाख रु0 की कार्पस निधि सहित 600 लाख रु0" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 190-2003/फा. सं. एन.सी. 151/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)